न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 254/2022

वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

कृष्ण कुमार कड़वा पुत्र श्री आत्माराम जाति जाट साकिन लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

———वादी

बनाम

1. शैल कड़वा पुत्र श्री कृष्ण कुमार कड़वा जाति जाट साकिन लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया
3. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़

———प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री सुनील टाण्डी –वकील वादीगण
2. श्री सुभाष कासनिया–वकील प्रतिवादी सं. 1

निर्णय दिनांक :–29.08.2022

वादी कृष्ण कुमार कड़वा ने प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के विरूद्ध यह राजस्व वाद घोषणा के तहत दिनांक 25.05.2022 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 आपस में सयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 वादी की पत्नी है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक नं. 4 एम.एम.के. की जमाबन्दी संम्वत 2073–76 के खाता सं. 184/120 में 2.530 है. व चक नं. 1 एल.एल.डब्ल्यू. की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता सं. 66/10 में 1.771 है. तथा चक नं. 3 एल.एल.डब्ल्यू. की जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के खाता सं. 80/10 में दर्ज कुल 0.506 है. व वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र ध्रुव कड़वा के नाम से चक नं. 3 एल.एल.डब्ल्यू. की जं.सं. 2072–75 के खाता सं. 45/58, 08 में 3.036 है. व चक नं. 3 एल.एल.डब्ल्यू. की जं. सं. 2072–75 के खाता सं. 96/8 में दर्ज कुल 3.453 है. में से 1/3 हिस्सा यानि 1.518 है. तथा हनुमानगढ़ तहसील के चक नं. 2 के.के.डब्ल्यू. की जं.सं. 2075–78 के खाता सं. 49/41 में दर्ज कुल 1.771 है. में से 1/3 हिस्सा यानि 0.590 है. तथा चक नं. 1 के.के.डब्ल्यू. खाता सं. 66/49 में दर्ज कुल 1.012 है. में से 1/3 हिस्सा यानि 0.337 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादपत्र की चरण सं. 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य घरू बंटवारानामा आपसी सहमति व रिश्तेदारों ने करवा दिया है। उक्त बंटवाराना के रोज से ही वादीगण व प्रतिवादीगण बंटवारानामा में प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहे है। कब्जा काश्त बाबत आपस में कोई विवाद नही है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र ध्रुव कड़वा पुत्र कृष्ण कड़वा अविवाहित था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। जिसके जायज व कानूनी वारिस एकमात्र प्रतिवादी सं. 1 हैं। प्रतिवादी सं. 1 उक्त कृषि भूमि को अपने पास नही रखना चाहती है। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 ने अपना

29/8
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सम्पूर्ण हिस्सा का हक त्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। इस प्रकार वादीगण को घरू बंटवारानामा में निम्नलिखित कृषि भूमि प्राप्त हुई है :-

वादी कृष्ण कुमार कड़वा के हक हिस्सा में आई कृषि भूमि :-

चक नं.	खाता सं.	रकबा
4 एम.एम.के.	184 / 120	2.530 है.
1 एल.एल.डब्ल्यू.	66 / 10	1.771 है.
3 एल.एल.डब्ल्यू.	45 / 08	3.036 है.
3 एल.एल.डब्ल्यू.	12 / 07	1.151 है.
3 एल.एल.डब्ल्यू.	80 / 10	0.506 है.
2 के.के.डब्ल्यू.	49 / 41	0.590 है.
1 के.के.डब्ल्यू.	66 / 49	0.337 है.

कुल 9.921 है. कृषि भूमि।

वादी एवं प्रतिवादीगण के उक्त कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त आय से अर्जित की गई कृषि भूमि है जिसका वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में घरू बंटवारानामा कर लियाा है, उक्त बंटवारानामा के अनुसार ही वादी वादपत्र की चरण सं. 03 में वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के काश्त करते आ रहे है। परन्तु उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 व मृतक ध्रुव कड़वा के नाम होने के कारण वादी के हक हकूक पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तथा सदैव झगडा होने का अन्देशा बना रहता है इसी कारण वादी उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की घोषणा करवाना चाहता हूँ। वादी उक्त कृषि भूमि अपने पिता आत्माराम से विरासतन प्राप्त हुई कृषि भूमि को विक्रय करने से प्राप्त आय व संयुक्त परिवार संयुक्त आय से अर्जित की गई कृषि भूमि है। जिसमे वादी का जन्मजात हिस्सा बनता है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारानामा हो चुका है व उसी मुताबिक वादी काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 व मृतक ध्रुव कड़वा के नाम होने के कारण वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी अपने नाम की घोषणा करवाने के हक मुस्त हक व दावेदार है। वादी द्वारा प्रतिवादी से वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित तथ्य अनुसार कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे परन्तु कल उन्होने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये अभिभाषक जवाबदावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 व 3 जवाब स्टेट पेश हुआ। जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई जो शामिल मिसल किया गया। वादपत्र के समर्थन में वादी द्वारा विरासतन साक्ष्य के तौर पर चक नं. 1 के.के.डब्ल्यू. खाता सं. 66 / 49, चक नं. 2 के.के.डब्ल्यू खाता सं. 49 / 41, चक नं. 4 एम.एम.के. खाता सं. 184 / 120, चक नं. 1 एल.एल.डब्ल्यू. खाता सं. 66 / 10, चक नं. 3 एल.एल.डब्ल्यू. खाता सं. 45 / 8 खाता सं. 12 / 7, व खाता सं. 80 / 10 की छायाप्रति पेश की। जमाबन्दी दस्तावेज EXP-1 T0 EXP7 प्रदर्श किये गए। साक्ष्य वादी में वादी कृष्ण कड़वा का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादी के स्वंय, प्रतिवादी सं. 1 व वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मृतक पुत्र ध्रुव कड़वा के नाम दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 ने सहमति का प्रार्थना पत्र पेश किया। वादपत्र में वादी द्वारा घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वादी अभिभाषक ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक प्रतिवादीगण ने कोई आपत्ति दर्ज नही करवाई।

वादपत्र में वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चक नं. 1 के.के.डब्ल्यू. खाता सं. 66/49, चक नं. 2 के.के.डब्ल्यू खाता सं. 49/41, चक नं. 4 एम.एम.के. खाता सं. 184/120, चक नं. 1 एल.एल.डब्ल्यू. खाता सं. 66/10, चक नं. 3 एल. एल.डब्ल्यू. खाता सं. 45/8 खाता सं. 12/7, व खाता सं. 80/10 वादी, प्रति.सं. 1 स्वयं के नाम व मृतक पुत्र ध्रुव कड़वा से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 के सहमति का प्रार्थना पत्र पेश करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र मृतक ध्रुव कड़वा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वादपत्र में दर्ज आराजी विरासतन सम्पति है। वाद वादी सहमति के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वादी कृष्ण कुमार कड़वा के हक हिस्सा में आई कृषि भूमि :–

चक नं.	खाता सं.	रकबा
4 एम.एम.के.	184/120	2.530 है.
1 एल.एल.डब्ल्यू.	66/10	1.771 है.
3 एल.एल.डब्ल्यू.	45/08	3.036 है.
3 एल.एल.डब्ल्यू.	12/07	1.151 है.
3 एल.एल.डब्ल्यू.	80/10	0.506 है.
2 के.के.डब्ल्यू.	49/41	0.590 है.
1 के.के.डब्ल्यू.	66/49	0.337 है.

कुल 9.921 है. कृषि भूमि।

वादी कष्ण कड़वा को 9.921 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 शैल कड़वा व मृतक पुत्र ध्रुव कड़वा का नाम उक्त खातो से कलमजन किया जावे।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक–हिस्सा किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.8.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/8/22

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 254 / 2022

कृष्ण कुमार कड़वा पुत्र श्री आत्माराम जाति जाट साकिन लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

---वादी

बनाम

1. शैल कड़वा पुत्र श्री कृष्ण कुमार कड़वा जाति जाट साकिन लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया
3. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए. दिनांक :–

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुनील टाण्डी वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री सुभाष कासनियां वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वादी कृष्ण कुमार कड़वा के हक हिस्सा में आई कृषि भूमि :–

चक नं.	खाता सं.	रकबा
4 एम.एम.के.	184 / 120	2.530 है.
1 एल.एल.डब्ल्यू.	66 / 10	1.771 है.
3 एल.एल.डब्ल्यू.	45 / 08	3.036 है.
3 एल.एल.डब्ल्यू.	12 / 07	1.151 है.
3 एल.एल.डब्ल्यू.	80 / 10	0.506 है.
2 के.के.डब्ल्यू.	49 / 41	0.590 है.
1 के.के.डब्ल्यू.	66 / 49	0.337 है.
		कुल 9.921 है. कृषि भूमि।

वादी कष्ण कड़वा को 9.921 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 शैल कड़वा व मृतक पुत्र ध्रुव कड़वा का नाम उक्त खातो से कलमजन किया जावे।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक–हिस्सा किया जावे।

खर्चा मुकदमें के मय निज..X..निल..X..मुब्लिक..X..निल..X..बाबत..X..निल..X..शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..X..को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29/8/22 को जारी किया गया।

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

संगरिया